बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

विज्ञापन सं०–02 / 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय में **कार्यालय परिचारी** के पद की रिक्तियों पर सीधी भर्त्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से **ऑनलाइन (Online)** आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

वेतनमान–वेतन स्तर–1 (Rs. 18,000-56,900 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय – 07.11.2026 (11:00 बजे पूर्वाह्न से)
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 06.12.2026
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 06.12.2026

1. **उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है।**
2. **उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा / साक्षात्कार के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर किया जायेगा।**
3. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:–

क्र. सं.	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	01	01
2.	अनुसूचित जनजाति	01	—
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	01
4.	पिछड़ा वर्ग	02	01
	योग:–	**05**	**03**

नोट–विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

4. अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
5. **शैक्षणिक योग्यता**:–ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को **राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक / समकक्ष उत्तीर्ण** होना चाहिए।
6. आरक्षण:–
 - *i.* आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
 - *ii.* आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - *iii.* सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं०–673, दिनांक–08.03.2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:–
 - A. जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
 - B. स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः–

a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

iv. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची–1 (प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

v. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

vi. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. <u>उम्र सीमा</u>–

i. **न्यूनतम आयु**–दिनांक **01.08.2026** को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।

ii. **अधिकतम आयु–**

- सामान्य (अनारक्षित) पुरूष–37 (सैंतीस) वर्ष
- सामान्य (अनारक्षित) महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 (चालीस) वर्ष
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 (बयालीस) वर्ष।

iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक 12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी, जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

iv. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

v. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

vi. अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8. <u>परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची</u>:–

उपर्युक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

उम्मीदवारों की संख्या 40,000 (चालीस हजार) से अधिक होने पर उपर्युक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा (OMR) उत्तर पत्रक आधारित (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा) आयोजित की जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार हेतु किया जायेगा।

i. परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

ii. उपर्युक्त प्रावधान के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथोल्लिखित नाम के देवनागरी लिपि के वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

उपर्युक्त पदों पर साक्षात्कार के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, सीधी भर्त्ती हेतु घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें किसी चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा।

9. <u>परीक्षा शुल्क</u>:–बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरूष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य **400/–** (चार सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग

अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य **100/–** (एक सौ) रूपये है।

10. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देशः–

(1) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

नोट–वैसे सभी कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	**07.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा० से**
2.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	**06.12.2026**
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	**06.12.2026**

(2) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(3) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित करेंगे।

(4) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(5) अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया इमेज सुस्पष्ट है।

(6) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या सभा सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(7) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान, Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बॉक्स में वर्णित "Apply Online" पर क्लिक करें।

APPLY ONLINE

महत्वपूर्ण निर्देशः–

(1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। सभा सचिवालय द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Bar Code एवं Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Bar Code एवं Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु सभा सचिवालय स्वतंत्र रहेगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन करते समय उपलब्ध है।

(5) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ सभा सचिवालय के वेबसाइट *https://vidhansabha.bihar.gov.in/* पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

(6) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत निर्देश सभा सचिवालय के वेबसाइट *https://vidhansabha.bihar.gov.in/* पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(7) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(8) **किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।**

जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।